



MUMBAI PORT TRUST

PORT DEPARTMENT

REVISION OF MUMBAI PORT LIMITS

(Circular no. DC/C-PR(Port Limits)/5530 dated 20th November 2006)

2006

रजिस्ट्री सं. डी.एन.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522।

नई दिल्ली, बुहुमूलिका, अक्टूबर 26, 2006/कार्तिक 4, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928

पोत परिवहन, मड़क परिवहन तथा मालालय प्रवालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्रन संख्या)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

सा.का.नि. 672(अ).—महापतन-न्यास-अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं 38) की धारा 2 की उपधारा (थ) के साथ पठित भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 (1908 के अधिनियम सं 15) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके और भारत - सरकार के पहले के पोत-परिवहन और परिवहन-मंत्रालय के पत्तन-संकेत की दिनांक 28 मई, 1982 की अधिसूचना साठकाठनि 0 सं 430 (अ) को अधिकांत करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि मुंबई-पत्तन की सीमाएँ निम्नानुसार होंगी :-

उत्तर में :-

ट्रॉम्बे गाँव के निकट और दक्षिण-पश्चिम-सीमा-स्तंभ से ट्रॉम्बे द्वीप के तट से पिर पात तक, वहाँ से ट्रॉम्बे द्वीप के तट से अनिक गाँव में सर्वेक्षण संख्या 42 में अवस्थित सीमा-स्तंभ तक और वहाँ से माहूल नाम की सँकरी खाड़ी के पार चौंदनी नाम की सँकरी खाड़ी के दक्षिणी तट पर अवस्थित सीमा-स्तंभ तक।

पश्चिम में :-

चौंदनी नाम की सँकरी खाड़ी के दक्षिणी तट पर अवस्थित सीमा-स्तंभ से, मुंबई द्वीप के पूर्वी तट से कोलावा पॉइंट के दक्षिणी वरम बिन्दु तक, वहाँ से पुस्त खाड़ी के तट से मालावार पॉइंट तक, वहाँ से अक्षांश $18^{\circ} 56.3'$ उत्तर, देशान्तर $72^{\circ} 45.9'$ पूर्व में एक बिन्दु तक खींची गई रेखा तक, वहाँ से अक्षांश $18^{\circ} 57'$ उत्तर, देशान्तर $72^{\circ} 44'$ पूर्व में एक बिन्दु तक, वहाँ से अक्षांश $18^{\circ} 48.8'$ उत्तर, देशान्तर $72^{\circ} 40.9'$ पूर्व